न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

राजस्व वाद संख्या : **59/2022**

GCMS NO. : **2022/96**

–: वादिया :– | **बनाम** | **–: प्रतिवादीगण :–**

वादिया:

1. अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति– ब्राह्मण निवासी– रामावास खुर्द तहसील–जैतारण।

बनाम

प्रतिवादीगण:

1. अम्बालाल पुत्र पाबुराम
2. ओमप्रकाश पुत्र पाबुराम
3. किशोर पुत्र सीताराम
4. गुणेश पुत्र सीताराम नाऔलाद फौत के उत्तराधिकारी कायम मुकाम सगा भाई प्रतिवादी संख्या 3 किशोर पुत्र सीताराम
5. दरियाव पत्नी सीताराम फौत के उत्तराधिकारी कायम मुकाम पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 किशोर पुत्र सीताराम
6. नारायणलाल पुत्र भंवरलाल
7. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल फौत के कायम मुकाम उत्तराधिकारी
   7/1. दिनेश पुत्र मोहनलाल
   7/2. महेश पुत्र मोहनलाल
   7/3. भंवराईदेवी पत्नी मोहनलाल
8. सोहनराज पुत्र भंवरलाल
9. बलदेव पुत्र बंशीलाल
10. भागीरथ पुत्र बंशीलाल
11. संतोष उर्फ शांतिलाल पुत्र बंशीलाल
12. गीता पत्नी बंशीलाल फौत के उत्तराधिकारी कायम मुकाम पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 9 से लगायत 11
13. कुन्नाराम पुत्र पुखराज
14. कमलादेवी पत्नी चेनाराम
15. नैनाराम पुत्र पुखराज
16. मदनलाल पुत्र हरीराम
17. लादूराम पुत्र रूघलाल
    सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण रामावासखुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।
18. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख रजू:.30/08/2022

उपस्थितः– 1. श्री शाकीर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, श्री बृजेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता वादिया।
2. तहसीलदार, जैतारण।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 12/05/2023

वकील मय वादिया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम रामावासखुर्द, पटवार हल्का रामावासकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6070 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा नम्बर 11 रकबा 0.0567 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 15 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7770 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.7446 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0360 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की कृषि भूमि आई हुई है, जिसमें वादिया का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार है तथा वादिया अपने 1/2 हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज काश्त करती चली आ रही है। इसी प्रकार वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा रामावासखूर्द पटवार हल्का रामावासकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 168 रकवा 2.4848 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम की आई हुई है तथा वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि सरहद मौजा रामवासखूर्द पटवार हल्का रामावासकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 167 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा आई हुई है। वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व में वादिया के पिता वीरमराम व पति सोहनलाल के नाम खातेदारी की थी तथा वादिया के पिता वीरमराम व वादिया के पति सोहनलाल के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण भरते समय राजस्व कर्मचारीयो एवं अधिकारीयो ने वादिया के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा मे लिये जाने वाला नाम उमराव पुत्री वीरमराम व उमराव पत्नी सोहनलाल के नाम से फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादिया का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल है जो वादिया के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पहचान कार्ड, निःशक्तता पहचान पत्र, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, आदि में भी वादिया का नाम अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल दर्ज है। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चली आ रही है। इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 05/08/2022 को पटवारी हल्का से सम्पर्क राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त करने हुई तब वादिया ने पटवारी हल्का एवं तहसीलदार महोदय, जैतारण को राजस्व रेकर्ड मे अपना सही व वास्तविक तथा दस्तावेज नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने उक्त रोग एन्ट्री को न्यायालय से दुरुस्त करवाने का कथन किया। अतः यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादिया को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओ से फायदा नही उठा पा रही है न ही ऋण आदि व किसान कार्ड आदि बन रहे है। जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया। इसलिए सहखातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है। केवल मात्र सहखातेदार काश्तकार होने से परफोर्मा प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण लेण्ड होल्डर है इसलिए वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 05/08/2022 को पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने एवं पटवारी हल्का एवं प्रतिवादी से राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम को दुरूस्त कर सही व वास्तविक तथा दस्तावेज नाम का इन्द्राज करने का निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोग एन्ट्री हटाने का कथन पर बमुकाम रामावासखूर्द पटवार हल्का रामावासकलां तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

इस पर वादिया का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 6 से 11 व 13 से 17 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 18 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि नामांतरकरण से उमराव पुत्री वीरमराम व उमराव पत्नी सोहनलाल के नाम दर्ज हुआ। दावा में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, निःशक्तता पहचान कार्ड, बैंक पास बुक व जनआधार में वादिया का नाम अमरी देवी पत्नी सोहनलाल दर्ज है। वादिया का नाम उमराव जरिये नामांतरकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। परन्तु वादिया अपने वर्तमान दस्तावेजों अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपना नाम संशोधित कराना चाहती है। जिसमें जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया व तहसीलदार, जैतारण पर गौर कर मनन किया। ग्राम रामावास खुर्द की जमाबन्दी संवत् 2059-2062

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

(प्रदर्श–1,2), संवत् 2071–2074 (प्रदर्श–3,4), संवत् 2055–2058 (प्रदर्श–5,6), संवत् 2075–2078 (प्रदर्श–7,8,9) के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6070 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा नम्बर 11 रकबा 0.0567 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 15 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7770 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.7446 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0360 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नम्बर 168 रकवा 2.4848 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा में 'उमराब पुत्री वीरमराम' एवं 'उमराव पत्नी सोहनलाल' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है।

2. वादिया अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में वादिया के पिता वीरमराम (खसरा नम्बर 9,10,11,15,18,20,24) व पति सोहनलाल (खसरा नम्बर 167, 168) के नाम खातेदारी की थी। वादिया के पिता एवं पति के देहान्त के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण में वादिया का नाम उमराव पुत्री वीरमराम व उमराव पत्नी सोहनलाल दर्ज किया गया, जो गलत है। वादिया का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल है। वादिया ने वादपत्र में सशपथ यह कथन किये कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल है। अन्य शहादत में गवाह पारसराम पुत्र दुलाराम का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह पारसराम ने अपने शपथ–पत्र में यह सशपथ कथन किये कि "वादिया के पिता वीरमराम व वादिया के पति सोहनलाल के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय वादिया के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाला नाम उमराव पुत्री विरमराम व उमराव पत्नी सोहलनलाल दर्ज कर दिया गया। वादिया के समस्त अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में वादिया का नाम अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल दर्ज है।" गवाह बाबूलाल पुत्र भूराराम का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 03 प्रस्तुत किया। गवाह बाबूलाल ने अपने शपथ–पत्र में यह सशपथ कथन किये कि "वादिया के पिता वीरमराम व वादिया के पति सोहनलाल के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय वादिया का नाम उमराव पुत्री विरमराम व उमराव पत्नी सोहलनलाल दर्ज कर दिया गया। वादिया का सही व दस्तावेजी नाम अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल है।"

3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श–10ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–11ए (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड), प्रदर्श–12ए (भामाशाह कार्ड) में वादिया का नाम अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श दस्तावेज प्रदर्श–13ए (पेन कार्ड) में वादिया का नाम अमरी बाई पुत्री बीरमराम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

4. राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, रामावासकलां में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों द्वारा दौराने उभयपक्ष बहस वादी का नाम उमराव की बजाय अमरीदेवी होना बताया गया।
5. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि नामांतरकरण से उमराव पुत्री वीरमराम व उमराव पत्नी सोहनलाल के नाम दर्ज हुआ। दावा में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, निःशक्तता पहचान कार्ड, बैंक पास बुक व जनआधार में वादिया का नाम अमरी देवी पत्नी सोहनलाल दर्ज है। वादिया अपने वर्तमान दस्तावेजों अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपना नाम संशोधित कराना चाहती है। जिसमें जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादिया के दस्तावेजात एवं **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, रामावास कलां में मजमा–ए–आम उभयपक्ष की बहस के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0360 हैक्टेयर ग्राम रामावासखुर्द के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्ठि 'उमराव पुत्री वीरमराम' एवं खसरा नम्बर 168 रकवा 2.4848 हैक्टेयर किस्म एवं खसरा नम्बर 167 रकबा 0.1942 हैक्टेयर ग्राम रामावासखुर्द के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'उमराव पत्नी सोहनलाल' वादिया का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ प्रविष्टि 'उमराव पुत्री वीरमराव एवं उमराव पत्नी सोहनलाल' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: ***आदेश*** ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावासखुर्द पटवार हल्का रामावासक... भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.7446

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0360 हैक्टेयर के **भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ** वादिया का नाम ***उमराव पुत्री वीरमराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि– *'**उमराव पुत्री वीरमराम**' के स्थान पर '**अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल**'* को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावासखुर्द पटवार हल्का रामावासकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 168 रकवा 2.4848 हैक्टेयर किस्म एवं खसरा नम्बर 167 रकबा 0.1942 हैक्टेयर के **भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ** वादिया का नाम ***उमराव पत्नी सोहनलाल*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि– *'**उमराव पत्नी सोहनलाल**' के स्थान पर '**अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल**'* को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/05/2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प रामावासकलां में सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

–: वादिया :– **बनाम** **–: प्रतिवादीगण :–**

1. अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति– ब्राह्मण निवासी– रामावास खुर्द तहसील–जैतारण।

1. अम्बालाल पुत्र पाबुराम
2. ओमप्रकाश पुत्र पाबुराम
3. किशोर पुत्र सीताराम
4. गुणेश पुत्र सीताराम नाऔलाद फौत के उत्तराधिकारी कायम मुकाम सगा भाई प्रतिवादी संख्या 3 किशोर पुत्र सीताराम
5. दरियाव पत्नी सीताराम फौत के उत्तराधिकारी कायम मुकाम पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 किशोर पुत्र सीताराम
6. नारायणलाल पुत्र भंवरलाल
7. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल फौत के कायम मुकाम उत्तराधिकारी
   7/1. दिनेश पुत्र मोहनलाल
   7/2. महेश पुत्र मोहनलाल
   7/3. भंवराईदेवी पत्नी मोहनलाल
8. सोहनराज पुत्र भंवरलाल
9. बलदेव पुत्र बंशीलाल
10. भागीरथ पुत्र बंशीलाल
11. संतोष उर्फ शांतिलाल पुत्र बंशीलाल
12. गीता पत्नी बंशीलाल फौत के उत्तराधिकारी कायम मुकाम पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 9 से लगायत 11
13. कुन्नाराम पुत्र पुखराज
14. कमलादेवी पत्नी चेनाराम
15. नैनाराम पुत्र पुखराज
16. मदनलाल पुत्र हरीराम
17. लादुराम पुत्र रुघलाल

सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण रामावासखुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।

18. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0– 59/2022

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–..... व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, श्री बृजेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता, वादिया मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावासखुर्द पटवार हल्का रामावासकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील **जैतारण में** खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.0360 **हैक्टेयर के भू–अभिलेख में जहॉं–जहॉं** वादिया का नाम ***उमराव पुत्री वीरमराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि– ***'उमराव पुत्री वीरमराम' के स्थान पर 'अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावासखुर्द पटवार हल्का रामावासकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 168 रकवा 2.4848 हैक्टेयर किस्म एवं खसरा नम्बर 167 रकबा 0.1942 हैक्टेयर **के भू–अभिलेख में जहॉं–जहॉं** वादिया का नाम ***उमराव पत्नी सोहनलाल*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि– ***'उमराव पत्नी सोहनलाल' के स्थान पर 'अमरीदेवी पत्नी सोहनलाल'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प रामावासकलां में आज तारीख 12/05/2023 को जारी किया गया।

मोहर

(मुकेश कुमार बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	2.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	3.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		0.00
मिजानः–	9.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकैन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested